

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] No. 444] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2007/आश्विन 9, 1929 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2007/ASVINA 9, 1929

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 637(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 1 की. उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अक्तूबर, 2007 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान, उसकी धारा 16 के सिवाय, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-23011/14/2007-विपणन] डी. एन. नरसिम्हा राजु, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2007

G.S.R. 637(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby appoints the 1st day October, 2007, as the date on which the provisions of the said Act, except Section 16 thereof, shall come into force.

[F. No. P-23011/14/2007-Mkt.] D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy. अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 638(अ). — केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, दिनांक 3 जुलाई, 2007 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 25 जुन, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 459(अ) को रद्द करती

है और इसके बाद तत्काल प्रभाव से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना अधिसूचित करती है, जिसमें निम्नलिखित हैं. नामत::—

श्री लाबन्येन्दु मानसिंह – अध्यक्ष

2. श्री भगवत सिंह नेगी - सदस्य

श्री एल.के. सिंघवी – सदस्य
 स्रश्री सुधा महालिंगम – सदस्य

5. डॉ. वाई.पी.एस. डांगे - सदस्य (विधिक)

[फा. सं. पी-23011/14/2007-विपणन]

डी. एन. नरसिम्हा राजु, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2007

G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby rescinds the Notification No. G.S.R. 459(E) dated the 25h June, 2007 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 3rd July, 2007 and hereafter notifies the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board with immediate effect, consisting of the following, namely:—

1. Shri Labanyendu Mansingh — Chairperson

Shri Bhagwat Singh Negi — Member
 Shri L.K. Singhvi — Member

4. Ms. Sudha Mahalingam — Member

5. Dr. Y. P. S. Dangay — Member (Legal)

Dr. Y. P. S. Dangay — Member (Legal)
 [F. No. P-23011/14/2007-Mkt.]
 D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy.

4060 GI/2007

# उत् सियमेव जयते । इ The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4441 No. 4441

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2007/आश्विन 9, 1929 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2007/ASVINA 9, 1929

## पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 637(अ).-केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अक्तूबर, 2007 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान, उसकी धारा 16 के सिवाय, लागू होंगे।

> [फा. सं. पी-23011/14/2007-विपणन] डी. एन. नरसिम्हा राज्, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2007

G.S.R. 637(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby appoints the 1st day October, 2007, as the date on which the provisions of the said Act, except Section 16 thereof, shall come into force.

[F. No. P-23011/14/2007-Mkt.] D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy. अधिस्चना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 638(अ).-केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, दिनांक 3 जुलाई, 2007 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 25 जुन, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 459(अ) को रद्द करती है और इसके बाद तत्काल प्रभाव से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना अधिसूचित करती है, जिसमें निम्नलिखित हैं. नामत: :--

1. श्री लाबन्येन्दु मानसिंह

– अध्यक्ष

2. श्री भगवत सिंह नेगी

- सदस्य

3. श्री एल.के. सिंघवी 4. सुश्री सुधा महालिंगम

- सदस्य - सदस्य

5. डॉ. वाई.पी.एस. डांगे

सदस्य (विधिक)

[फा. सं. पी-23011/14/2007-विपणन]

डी. एन. नरसिम्हा राजु, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2007

G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby rescinds the Notification No. G.S.R. 459(E) dated the 25h June, 2007 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 3rd July, 2007 and hereafter notifies the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board with immediate effect, consisting of the following, namely:-

1. Shri Labanyendu Mansingh

- Chairperson

2. Shri Bhagwat Singh Negi

- Member

3. Shri L.K. Singhvi

- Member

4. Ms. Sudha Mahalingam

-- Member

5. Dr. Y. P. S. Dangay

- Member (Legal)

[F. No. P-23011/14/2007-Mkt.] D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy.

4060 GI/2007